जिला योजना/ आयोजनागत
संख्या–2807/ III (2)/04–13 (बजट )/2004

प्रेषक,

टी0के0 पन्त,
संयुक्त सचिव,
उत्तरांचल शासन ।

सेवामें,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल ।

लोक निर्माण अनुभाग–2 देहरादून,दिनांक 10 सितम्बर,2004

विषय:– वित्तीय वर्ष 2004–2005 में सडकों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय जिला तथा अन्य सडकें जिला योजना हेतु प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता स्तर–1 लोक निर्माण विभाग ,देहरादून के पत्रसं0 1707/02 बजट (जिलायोजना)/2004–2005दिनांक 11–5–2004के संदर्भ में एवं शासनादेश सं0–1142/III(2)/04–13 (बजट)/2004, दिनांक 31 मई, 2004 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2004–05 में सड़को तथा सेतुओ पर पूंजीगत परिव्यय जिला तथा अन्य सडकें जिला योजना (आयोजनागत) में चालू कार्यों हेतु रू0 1685.66 लाख (रू0 सोलह करोड़ पिचासी लाख छियासठ हजार मात्र) की धनराशि को संलग्न विवरणानुसार आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– (क) उक्त धनराशि का व्यय जिला समिति द्वारा अनुमोदित चालू कार्यो पर किया जायेगा।तथा जिला सैक्टर की नई योजनाओ पर व्यय शासन का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात ही किया जायेगा । चालू योजनाओ पर भी व्यय अनुमोदित लागत की सीमा तक ही किया जायेगा ।

(ख) स्वीकृत धनराशि के संबंध में जिलेवार एवं कार्यवार फांट करके एक सप्ताह के अन्दर शासन को उपलब्ध करायी जायेगी ।

3– उक्त धनराशि का व्यय डी.सी. एल. के आधार पर किया जायेगा, तथा मासिक आवयश्यकतानुसार तीन समान किशतो में कोषागार से आहरण किया जायेगा, एवं वित्तीय/भौतिक लक्ष्यो का विवरण शासन को प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराया जायेगा । उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि के 80 प्रतिशत उपयोग एवं विगत वर्ष स्वीकृत धनराशि के पूर्ण उपयोग के उपरान्त ही आगामी किस्त अवमुक्त की जायेगी कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु संबंधित अधिशासी अभियन्ता उत्तरदायी होंगे ।

4– उक्त धनराशि का आहरण तब ही किया जायेगा जब विगत वर्ष मे उक्त मद मे जिला योजनान्तर्गत समस्त धनराशि का उपयोग कर लिया जाय । जिन जनपदो मे विगत वर्ष की पूर्ण धनराशि का उपयोग हो चुका है वे ही उक्त धनराशि का आहरण कर सकते हैं ।

5– यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि व्यय चालू कार्य पर कार्य की पूर्व अनुमानित लागत की सीमा तक ही किया जाये ।

6– व्यय करने से पूर्व जिन मामलो में बजट मैनुअल,वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमो तथा अन्य स्थायी आदेशो के अर्न्तगत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो,उनमे व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय ।

क्रमश 2/–

निर्माण कार्य पर व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनों /पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ-साथ विस्तृत आगणनों पर सक्षम प्राधिकारी की तकनीकी स्वीकृति भी अवश्य प्राप्त कर ली जाय ।

7- व्यय उन्हीं योजनाओं पर किया जायेगा जो अनुमोदित हो ।

8- कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु संबंधित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे ।

9- स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.3.05 तक पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त ही आगामी किश्त अवमुक्त की जायेगी ।

10- इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2004-05 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-22 लेखाशीर्षक -5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय - 04 जिला तथा अन्य सड़कें -आयोजनागत-800-अन्य व्यय-91जिला योजना-00-24 वृहत्त निर्माण कार्य में उल्लिखित सुसंगत प्राथमिक इकाईयो के नामे डाला जायेगा ।

11- यह आदेश वित्त विभाग के अ.शा. सं0-1026 /वित्त अनुभाग-3/04,दिनांक, 31 अगस्त, 2004 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है ।

संलग्नक:- यथोक्त ।

भवदीय

( टी0के0 पन्त )
संयुक्त सचिव ।

संख्या-२१०१(1)/ 111(2)/04,तद्‌दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1- महालेखाकार ( लेखा प्रथम ) उत्तरांचल,इलाहाबाद / देहरादून ।
2- आयुक्त गढवाल/कुमायू मंडल, पौडी/नैनीताल ।
3- मुख्य अभियन्ता स्तर-1,लो0नि0वि0,देहरादून ।
4- समस्त जिलाधिकारी/ कोषाधिकारी ,उत्तरांचल ।
5- मुख्य अभियन्ता , गढवाल/कुमायू क्षेत्र,लो0नि0वि0, पौडी/ अल्मोडा ।
6- वरिष्ठ कोषाधिकारी,देहरादून।
7- श्री एल.एम. पन्त, अपर सचिव,वित्त (बजट) अनुभाग,उत्तरांचल शासन ,देहरादून ।
8- वित्त अनुभाग-3/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ,उत्तरांचल शासन ।
9- वरिष्ठ प्रभारी राष्ट्रीय सूचना केन्द्र,उत्तरांचल शासन ।
10- निजी सचिव ,मा. मुख्यमंत्री जी को मा. मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ ।
11- लोक निर्माण अनुभाग-1 उत्तरांचल शासन / गार्ड बुक ।

आज्ञा से

( टी0के0 पन्त )
संयुक्त सचिव ।

R.c.joshi

शासनादेश संख्या– 2079 / III(2)/04–13(बजट)/2004 दिनांक 10 सितम्बर 2004 का संलग्नक

अनुदान संख्या–22

लेखाशीर्षक–5054–सड़को तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय–04 जिला तथा अन्य सड़के 5054–04–800–91– जिला योजना–24 वृहत्त निर्माण कार्य ।

(धनराशि लाख रू0 में)

| कम सं. | जनपद का नाम | कुल परिव्यय | कुल परिव्यय मे से मार्ग/सेतु) पुनः निर्माण सहित) चालू कार्यो का परिव्यय । | शासनादेश दिनांक 31–5–04 द्वारा स्वीकृत धनराशि | प्रस्तावित धनराशि |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | नैनीताल | 450.01 | 450.00 | 173.70 | 167.30 |
| 2 | ऊधमसिंह नगर | 535.80 | 500.00 | 193.00 | 195.00 |
| 3 | अल्मोड़ा | 300.00 | 225.00 | 86.50 | 132.50 |
| 4 | पिथोरागढ | 235.00 | 235.00 | 90.70 | 144.30 |
| 5 | बागेश्वर | 370.00 | 291.00 | 112.30 | 178.70 |
| 6 | चम्पावत | 269.92 | 210.92 | 81.40 | 11.86 |
| 7 | देहरादून | 250.00 | 250.00 | 96.50 | 153.50 |
| 8 | पौडी | 300.00 | 300.00 | 115.80 | 184.20 |
| 9 | टिहरी | 250.00 | 250.00 | 96.25 | 153.75 |
| 10 | चमोली | 375.00 | 375.00 | 144.00 | 27.00 |
| 11 | उत्तरकाशी | 390.00 | 320.00 | 123.50 | 27.00 |
| 12 | रूद्रप्रयाग | 236.79 | 236.79 | 91.40 | -- |
| 13 | हरिद्वार | 510.00 | 505.00 | 194.95 | 310.05 |
| | योग:– | 4472.52 | 4148.71 | 1600.00 | 1685.66 |

(रू0 सोलह करोड पिच्चासी लाख छियासठ हजार मात्र )

( टी0के0 पन्त
संयुक्त सचिव ।